



-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 01.11.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ थाना गिरवां पुलिस द्वारा अवैध तमंचे के साथ भ्रमण कर रहे अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार। अभियुक्त के कब्जे से अवैध तमंचा व कारतूस बरामद।

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा अवैध शस्त्रों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में थाना गिरवां पुलिस द्वारा गश्त एवं चेकिंग के दौरान सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जमरेही रेलवे फाटक के पास संदिग्ध रूप से भ्रमण कर रहा है। सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा मौके पर जाकर व्यक्ति को पकड़कर तलाशी ली गई तो उसके कब्जे से अवैध तमंचा व कारतूस बरामद हुए।

बरामदगी-

- 01 अवैध तमंचा 12 बोर
- 01 जिन्दा कारतूस 12 बोर

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. बाबू पुत्र बलवंत निवासी खुरहंड थाना गिरवां जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0- 341/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना गिरवां जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. श्री विवेक कुमार त्रिपाठी चौकी प्रभारी खुरहंड
2. हे0कां0 नितीश द्विवेदी
3. कां0 सोनपाल